नई शिक्षा नीति 2020 में निहित स्कूली शिक्षा का विश्लेषण

डॉ0 पूनम सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
मेरठ कॉलिज, मेरठ (उ.प्र.)
poonamrachit@gmail.com

सारांशिका

देश की शिक्षा व्यवस्था को रोजगारपरक बनाने एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए देश की शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले देश के विभिन्न शिक्षाविदों ग्राम पंचायतों, जिलों, ब्लाकों, एवं महाविद्यालयों छात्रों से इस नीति के बारे में सुझाव मांगे गये। जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो कमियां रह गईं उन कमियों को दूर किया जाये, एवं शिक्षा व्यवस्था को उत्तम बनाया जाये इसके लिये नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा (3 वर्ष से 18 वर्ष) तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्दर रखा जायेगा। जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, ड्राफ्ट आउट्स को पुनः स्थापित करने और सार्वभौमिकता की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति में 2020 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को स्कूली शिक्षा में पहुँच और भागीदारी प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए वर्तमान में 10़2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5़3़3़4 प्रणाली को लागू किया गया। भाषा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य किये जायेंगें और परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ फार्मेट में सेमेस्टर प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जायेंगीं। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं उन्नयन बनाने के लिए नेशनल मेटारिंग प्लान बनाया जायेगा। और छात्रों के लिए बैग के बोझ को कम करके उनके अन्दर कला क्विज खेल और योगा को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कक्षा–6 से ही व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जायेगा।

मुख्य शब्दः .स्कूल शिक्षा विश्लेषण, आधुनिकीकरण, रोजगारपरक शिक्षा, नीति

प्रस्तावनाः मनुष्य की शक्तियों का विकास उसकी अपनी शिक्षा पर निर्भर करता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास समाज के मूल्यों एवं सिद्धान्तों पर निर्भर करता है। जिसमें शिक्षा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने तथा चरित्र को पवित्र एवं सुन्दर बनाने का एक सबसे उत्तम साधन है। यह साधन मनुष्य को प्रकृति एवं समाज में परिवर्तन लाने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह सब उस देश की शिक्षा नीति पर निर्भर करता है। जिस देश की शिक्षा नीति जितनी ही उत्तम एवं सशक्त होगी उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा जितनी शिक्षा नीति। जो कि किसी भी राष्ट्र को सशक्त एवं उत्तम बनाने के लिए मूलभूत रूप से आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा नीति में अतीत का विश्लेषण एवं वर्तमान की आवश्यकताओं तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा गया। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान पर केन्द्रित थी जिसमें देश की शिक्षा के विकास के लिए व्यापक ढांचा और बुनियादी सुविधायें जैसे– भाषाओं का विकास, माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा नीति 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क, रोजगार परक शिक्षा के साथ खेल सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अनिवार्य करना और उसे शिक्षा का हिस्सा मानना तथा 10़2़3 के प्रारूप को लागू करना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सभी बातें थीं। शिक्षा शिक्षण अध्यापकों के लिहाज से महत्वपूर्ण थी। परन्तु इस नीति की कुछ बातें सुविधा के अनुसार अपना ली गयीं बाकी बातें कागजों तक की सीमित रह गईं। केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी नई शिक्षा नीति 34 वर्षों पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1986 को प्रतिस्थापित करेगी।नई शिक्षा नीति के निर्माण का कार्य 31 अक्टूबर 2015 से शुरू हुआ था। तत्कालीन सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी0एस0आर0 सूब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनायी इस कमेटी में अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को सौंपी इसके 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे वैज्ञानिक के0 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट एच0आर0डी0 मंत्री रमेश चन्द्र पोखरियाल ने लोगों से सुझाव मांगे थे भारत वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से सुझाव लिये गये। इसमें शिक्षा विदों अध्यापकों अभिभावकों जन प्रतिनिधियों एवं व्यापक स्तर पर छात्रों से सुझाव लेकर मंथन किया गया। आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्रीय आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गयी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ''यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुप्रतिक्षित सुधार है जिसमें लाखों लोगों को जीवन बदल जायेगा।'' एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसमें संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जायेगा।

उद्देश्य :–

1. नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा की संकल्पना को समझना। 2. नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा का विश्लेषण।

प्रविधि :–

विषय वस्तु विश्लेषण शोध का एक उपकरण है यह उपकरण गुणात्मक शोध में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में से एक नीति के दस्तावेजों में प्रतीकों के रूप में जो कुछ सम्मिलित है उनका विश्लेषण करके परिघटना के परोक्ष पहलू दस्तावेजों के आने से पहले तथा दस्तावेज लागू होने के बाद हो सकते हैं। प्रस्तुत शोध विषयवस्तु विश्लेषण का एक मकसद है। यह समझना की शिक्षा नीति के माध्यम से समाज एवं स्कूली शिक्षा का संदेश प्रषारित किया जायेगा।

स्कूली शिक्षा का विश्लेषण

किसी भी राज्य की शिक्षा नीति उसकी शिक्षा के सन्दर्भ प्रतिवद्धताओं की औपचारिक तथा संवैधानिक घोषणा होती है। नीति उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है। जिनके आधार पर आने वाले वर्षों में शिक्षा के लिए संस्थाओं तथा प्रक्रिया का आकार दिया जायेगा। इसी के आधार पर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 के अन्दर 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के अन्दर के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अन्दर रखा गया।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा :–

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा (3 से 6 वर्ष की आयु) को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्रदान करना। जिसमें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केन्द्र बाल–वाटिका के जरिये बच्चों में खेल–कूद में रूचि पैदा की जायेगी। इसके बाद 6 वर्ष की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला होगा। इससे पहले यह उम्र 5 वर्ष थी साथ ही रटने वाली शिक्षा पद्धति के स्थान पर समझने वाली शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जायेगा। और बच्चों को कम से कम मानसिक तनाव पड़े इसके लिए सिलेबस के बोझ को कम किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मातृ भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षण के माध्यम में प्रयोग करने की बात कही गयी है। भाषा के विकास के लिए त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया जायेगा कक्षा –6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जायेगा। कला विज्ञान और कामर्स अनुशासनों के चुनाव के लिए अंकों की वाधिता को खत्म किया जायेगा। और वोकेशनल शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा।

शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच :–

ड्राफ्ट आउट को पुनः स्थापित करने और शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति ने 2030 तक 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा में पहुँच और भागीदार करने का उद्देश्य निर्धारित किया।

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10़2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5़3़3़4 प्रणाली के रूप में रखा गया है। इस पैटर्न को सरकार तथा गैर–सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिसमें 12 साल तक स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री–स्कूली शिक्षा दी जायेगी। इसके चार चरण रखें हैं।

नया फार्मेट	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउन्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आंगनबाडी
	फाउन्डेशन स्टेज	6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री–प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा–3 से कक्षा–5
3	मध्यम स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा–6 से कक्षा–8
4	अन्तिम चरण	14 से 18 वर्ष	कक्षा–9 से कक्षा–12

इससे पहले सरकारी स्कूलों में प्री–स्कूलिंग नहीं होती थी। बच्चा 6 वर्ष की आयु में पढ़ना प्रारम्भ करता था। लेकिन अब 3 वर्ष की शिक्षा द्वारा (आंगनवाड़ी के माध्यम से) प्रारम्भ कर देगा। और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मिड–डे मील के साथ नाश्ता देने एवं छात्रों को कक्षा में ही विषय चुनने की स्वतन्त्रता होगी। जो पहले कक्षा–11 में विषय चुनने की स्वतन्त्रता थी। जिससे कक्षा–9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय की पढ़ाई के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों का विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। क्योंकि अब कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परिक्षाओं में बदलाव कर वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली) वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ फार्मेट में परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस नीति में शिक्षकों के उन्नयन के लिए नेशनल मेटरिंग प्लान बनाया जायेगा। शिक्षकों की प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के लिए भर्ती किया जायेगा तथा पदोन्नति एवं योग्यता (शैक्षिणिक प्रशासन कार्य व समय–समय पर कार्य प्रदर्शन का आंकलन) आधारित होगी। और संविदा शिक्षकों की बजाय नियमित शिक्षक रखने पर जोर दिया जायेगा।

शिक्षक छात्र का अनुपात प्रत्येक स्कूल में 30:1 से कम हो तथा सामाजिक आर्थिक रूप में वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्र के स्कूलों में यह अनुपात 25:1 से कम रहेगा। तथा शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों प्रशासनिक कार्यों मिड–डे मील से सम्बन्धित कार्यों में शामिल नहीं करने का सुझाव दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 में बैग के बोझ को कम करके कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक शिल्प गतिविधियों को प्रोत्साहन किया जाये। तथा शिक्षा का माध्यम स्थानीय एवं क्षेत्रीय भाषा होगा। और जहां तक सम्भव होगा। अनुदेशन का माध्यम कम से कम ग्रेड–5 तक लेकिन अधिकतम ग्रेड–8 और बाद में घरेलू भाषा या मातृभाषा स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगा। छात्रों की स्ट्रीम के लिए विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा कला, शिल्प और व्यावसायिक कौशल के विषयों सहित अध्ययन करने के लिए सभी विशयों को पढ़ाया जायेगा। तथा विज्ञान मानविकीय और गणित के अलावा उपरोक्त विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। प्री–स्कूल से माध्यमिक स्तर तक एक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जायेगा। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर मुख्य धारा मे शामिल करने के लिए इन्फ्रास्ट्रचर का विकास किया जायेगा। साथ ही नये शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग दो

करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने का लक्ष्य है। बच्चा पाठशाला छोडते समय किसी न किसी कौशल में प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। और स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए एक कॉमन परीक्षा का भी आयोजन किया जायेगी।

निष्कर्ष :–

नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के प्रावधानों मे 5३3४ का पाठ्यक्रम स्कूलों में लागू होने की बात कही गयी। जिसमें प्री–प्राथमिक से ही बच्चों की नींब मजबूत होने लगेगी। क्योंकि प्री–प्राथमिक शिक्षा आंगनवाडी केन्द्रों में प्रारम्भ की जायेगी। और इस नीति में शारीरिक रूप से बच्चों को सशक्त बनाने के लिए खेल–कूद एवं व्यायाम की व्यवस्था के प्रावधान भी किये गये हैं। साथ ही इससे डेवलेपमेन्ट वोकेशनल शिक्षा को लागू करना विषयों के चयन में स्वतन्त्रता होने से बच्चे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। एवं शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को बनाया जायेगा। क्योंकि भाषा के विकास के लिए त्रिभाषा फार्मूला को अपनाया गया। इस नीति में पहली बार ब्लॉकों, जिलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों एवं शिक्षाविदों के सुझाव को भी नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचित सभी को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़कर उनका उज्जवल भविष्य बना देना है।

सन्दर्भ :–

1. भारत सरकार, 2020 नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार।
2. भारत सरकार 1986 नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा मंत्रालय।
3. विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000।
4. भारत सरकार 2009 निशुल्क और अनिवार्य वार शिक्षा का अधिकार अधिनियम।